संख्या: 58/2021/1990जेएल/22-3-2021-800(72)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
फतेहपुर ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2021*

विषय- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लोख्खर शुक्ला पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला, निवासी-कुसुम्भी, थाना-असोथर, जनपद-फतेहपुर को पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2353/जि0प्रो0का0/बन्दी पैरोल/2021-22, दिनांक 01-11-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी लोख्खर शुक्ला पुत्र श्री गिरजा शंकर शुक्ला, निवासी-कुसुम्भी, थाना-असोथर, जनपद-फतेहपुर को शासनादेश संख्या:42/2021/1335जेएल/22-3-2021-800(72)/2019, दिनांक 12-08-2021 के क्रम में एक **माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या: 58/2021/1990जेएल (1)/22-3-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in